स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 233, दिनांक 21–09–2020

मानव सम्पदा पोर्टल की वेबसाइट का दुरूपयोग कर धांधली करने वाल फर्जी अध्यापक को उसके गिरोह के 01 सदस्य व 01 अन्य को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार।

दिनांक 21–09–2020 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को, मानव सम्पदा पोर्टल की वेबसाइट का दुरूपयोग कर धांधली करने वाले फर्जी अध्यापक को उसके गिरोह के 01 सदस्य व 01 अन्य को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– यदुनन्दन यादव (फर्जी नाम– प्रमोद कुमार सिंह) पुत्र इन्द्रमणि यादव नि0 हरदी थाना सहजनवा, जनपद गोरखुपर। हाल पता– म0नं0 26, सिंघला रेजीडेन्सी, थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी।
2– सत्यपाल यादव पुत्र इन्द्रमणि यादव नि0 हरदी थाना सहजनवा, जनपद गोरखुपर। हाल पता– म0नं0 26, सिंघला रेजीडेन्सी, थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी।
3– प्रमोद कुमार यादव (फर्जी नाम आशीष कुमार सिंह) पुत्र इन्द्रदेव यादव नि0 बरसीपार, थाना सलेमपुर जनपद देवरिया।

बरामदगीः–

1– 06 अदद मोबाइल फोन,
2– 02 अदद लैपटाप,
3– 01 अदद प्रिन्टर,
4– इगनिस कार यू0पी–32–एच0बी0 5831
5– 02 अदद कूटरचित पहचान पत्र सी0आ0पी0एफ0 का
6– 02 अदद कूटरचित आधार कार्ड प्रमोद सिंह के नाम का
7– एक अदद आधार कार्ड
8– एक अदद कूटरचित डी0एल0 प्रमोद सिंह के नाम का
9– एक अदद कूटरचित पैन कार्ड प्रमोद सिंह के नाम का
10– एक अदद पैन कार्ड
11– 02 अदद ए0टी0एम0 कार्ड
12– कुल रूपये नगद 8,60,000/–(रू0 आठ लाख साठ हजार मात्र)

गिरफ्तारो का स्थानः–

दिनांक 21–09–2020 समय 06:30 बजे, पराग बूथ, वेव सिनेमा, गोमतीनगर, लखनऊ के पास।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में फर्जी मार्कशीट/डिग्री के आधार पर विभिन्न विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नौकरी करने वाले पर प्रभावी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में श्री सत्यसेन यादव, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 मुख्यालय एवं एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, गोरखपुर द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि प्रमोद कुमार सिंह उर्फ यदुनन्दन यादव जो जनपद बाराबंकी में एक फर्जी शिक्षक है तथा मानव सम्पदा पोर्टल की वेबसाइट का दुरूपयोग कर अपने गैंग के सदस्यों के साथ धांधली कर लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहा है, आज अपने गैंग के सदस्य के साथ एक

फर्जी टीचर से वेव सिनेमा स्थित पराग बूथ उपरोक्त के पास आयेगा। यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की इस सूचना पर निरीक्षक श्री सत्यप्रकाश सिंह, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, गोरखपुर के नेतृत्व में उपनिरीक्षक श्री आलोक राय, उ0नि0 श्री सत्येन्द्र विक्रम, एच0सी0 असलम सिंह, का0 आशुतोष तिवारी, का0 नासिर व कान्स0 महेन्द्र प्रताप की एक टीम गठित कर मुखबिर के बताये गये स्थान पर पहुँच कर उपरोक्त अभियुक्तों को मुखबिर की निशादेही पर गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त यदुनन्दन यादव उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह प्रमोद कुमार सिंह के नाम से प्राथमिक विद्यालय, ककराहा ब्लाक बन्नी कोडर, जनपद बाराबंकी में सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी कर रहा है। उसके द्वारा पूर्व में भी फर्जी एस0टी0 का प्रमाण पत्र बनवा कर सी0आर0पी0एफ0 में वर्ष 2000 में भर्ती हुआ था, जिसमें थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर में उसके विरूद्ध वर्ष 2007 में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा वह उसमें जेल गया था। उसकी पत्नी श्रीलता वर्तमान समय में अर्चना पाण्डेय के नाम से उच्च प्राथमिक विद्यालय, गदिया जनपद बाराबंकी में अध्यापक के पद पर नौकरी कर रही है। उसके द्वारा मानव संपदा उ0प्र0 पोर्टल की धांधली के सम्बन्ध में बताया गया कि मानव सम्पदा उ0प्र0 पोर्टल से पब्लिक विन्डों में दी गई सूची के आधार का इस्तेमाल करके यह जानकारी प्राप्त कर लेता था कि कौन फर्जी अध्यापक है और उनसे वसूली करता था। मेरे द्वारा ऐसे अध्यापकों के हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक, बी0एड आदि शैक्षिक दस्तावेजों का अध्ययन कर लेता था, जिससे पता चल जाता था कि कूटरचित शैक्षिक दस्तावेज के आधार पर चयनित होकर नौकरी कर रहे हैं। जिन शिक्षकों का मोबाइल नम्बर नहीं मिलता था, तब उनसे सम्पर्क करने के लिये उनके जनपद के पोर्टल से ग्राम प्रधान के नम्बर पर सम्पर्क कर शिक्षक का मोबाइल नम्बर प्राप्त कर लेता था, फिर उनके मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क कर बताता था कि मैं मानव संपदा पोर्टल का अधिकारी बोल रहा हूं। इसी क्रम में आशीष कुमार सिंह उपरोक्त को पैसा लेकर बुलाया था, जिसका वास्तविक नाम प्रमोद कुमार यादव है तथा जो आशीष कुमार सिंह के नाम से प्राथमिक विद्यालय खोरी पट्टी, बढ़हलगंज जनपद गोरखपुर में नौकरी कर रहा है। यदुनन्दन की गाड़ी से बरामद कागजात के बारे में पूछताछ पर बताया कि यह सभी फर्जी अध्यापक हैं। यह सारे कागजात हमने मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से निकाले हैं। इनमें से कुछ फर्जी अध्यापकों से पैसा वसूल चुका हूँ एवं कुछ से पैसा वसूलना बाकी था।

गिरफ्तार अभियुक्त सत्यपाल यादव ने पूछताछ पर बताया कि मैं यदुनन्दन यादव का भाई हूँ और इस फर्जीवाड़े में मैं ही शिक्षकों को फोन करके यदुनन्दन को मानव सम्पदा विभाग का अधिकारी बताते हुए बात कराता हूँ। जब कोई फर्जी शिक्षक मिलने आता है तो मैं यदुनन्दन का ड्राइवर या स्टाफ बन कर मिलता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त प्रमोद कुमार यादव ने पूछताछ पर बताया कि मैं आशीष कुमार सिंह के नाम से प्राथमिक विद्यालय खोरी पट्टी, बढ़हलगंज जनपद गोरखपुर में नौकरी कर रहा हूँ। यदुनन्दन और सत्यपाल ने मुझे फोन करके बुलाया था कि मेरी व अन्य फर्जी अध्यापक वाली नियुक्ति को वह लोग सही करा देंगे और नौकरी बच जायेगी। इसलिए मैं अपना तथा अपने साथियों जो फर्जी अध्यापक हैं, का सही कराने के लिए पैसा लेकर आया था, कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ में अभियोग पंजीकृत कराने की कार्यवाही की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।